

अनुसूची - एक

“प्रपत्र-क”

सम्पत्ति कर स्वतः निर्धारण प्रपत्र
(अधिनियम की धारा 141 (क) के अन्तर्गत)

1- सम्पत्ति का विवरण -

- (1) भवन/भूखण्ड संख्या..... कम्प्यूटर कोड संख्या.....
(2) भवन/भूखण्ड की अवस्थित का पता..... वार्ड संख्या.....

2- स्वामी/अध्यासी का विवरण-

- (1) स्वामी/अध्यासी का नाम.....
(2) स्वामी/अध्यासी के पिता/पति का नाम.....
(3) स्वामी/अध्यासी के स्थायी पता.....
(4) स्वामी/अध्यासी का मोबाइल नम्बर.....

3- भवन सम्बन्धी विवरण-

- (1) समस्त कमरों और आच्छादित बरामदों का लम्बाई X चौड़ाई योग
पूर्ण आन्तरिक आयाम (वर्गफुट में)
(तल के अनुसार)
(2) समस्त बालकनी, कारीडोर, रसोई और स्टोर का
पूर्ण आन्तरिक आयाम (वर्गफुट में)
(3) समस्त गैराज के आन्तरिक आयाम (वर्गफुट में)

टिप्पणी- स्नान गृह, शौचालय पोर्टिको और जीने से आच्छादित क्षेत्र कारपेट एरिया का भाग नहीं होगा।

- (4) भवन का कुल कारपेट एरिया (वर्गफुट में)

4- भवन के निर्माण की प्रकृति-

- (1) आर0सी0सी0 या आर0बी0 छत सहित पक्का भवन अन्य पक्का भवन

- (2) भवन का निर्माण का वर्ष
(3) भवन स्वामी द्वारा अध्यासित है अथवा किराये पर है, किसी एक का उल्लेख करें.....

टिप्पणी- यदि भवन एक वर्ष से कम अवधि से खाली है तो उसे स्वामी द्वारा अध्यासित समझा जायेगा, किन्तु यदि भवन एक वर्ष से अधिक की अवधि से खाली है तो उसे खाली उल्लिखित किया जायेगा।

5- भवन अवस्थित हैं-

40 फिट से अधिक चौड़े मार्ग पर 20 से 40 फिट चौड़े मार्ग पर 20 फिट से कम चौड़े मार्ग पर

6- भूमि सम्बन्धी विवरण-

- (1) भूमि का कुल क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित नहीं है (वर्गफुट में).....

- (2) भूमि अवस्थित है-

40 फिट से अधिक चौड़े मार्ग पर

20 से 40 फिट चौड़े मार्ग पर

20 फिट से कम चौड़े मार्ग पर

7- भवन/भू-खण्ड की चौहद्दी-

पूरब.....

पश्चिम.....

उत्तर.....

दक्षिण.....

8- भवन/भूमि का पुराना वार्षिक मूल्य रु0.....

9- (1) अधिशासी अधिकारी द्वारा भवन के लिए निर्धारित न्यूनतम मासिक किराया दर रु0.....

(2) अधिशासी अधिकारी द्वारा भवन के लिए निर्धारित न्यूनतम मासिक किराया दर रु0.....

10- वार्षिक मूल्य की गणना-

भूमियों/भवनों का वा0मू0 निम्नांकित आधार पर किया जायेगा।-

(1) करपेट एरिया X अधिशासी अधिकारी द्वारा निर्धारित क्षेत्रीय किराया दर X 12 =

या

आच्छादित क्षेत्रफल का 80% X अधिशासी अधिकारी द्वारा निर्धारित क्षेत्रीय किराये की न्यूनतम दर X 12 =

(2) स्वामी द्वारा अध्यासित होने की दशा में अधिनियम की धारा 140 (एक) में यथा उल्लेखित छूट देने के पश्चात् वार्षिक मूल्यांकन रु0.....

(3) किराये पर होने की दशा में अधिनियम की धारा 140 (2 ख) में यथा उल्लेखित वृद्धि के पश्चात् वार्षिक मूल्यांकन रु0.....

(4) यदि भवन के निर्माण में मार्बल आदि पत्थरों का प्रयोग किया गया है तो 25% वृद्धि के पश्चात् वार्षिक मूल्यांकन रु0.....

(5) भूमि का क्षेत्रफल 'ग' अधिशासी अधिकारी द्वारा निर्धारित क्षेत्रीय किराया की न्यूनतम दर X 12 =

11- देय कर की गणना -

(1) सामान्य कर गृहकर-यथा अवधारित वार्षिक मूल्यांकन X सामान्य की दर की = रु0.....

100

12- जलकर - यथा अवधारित वार्षिक मूल्यांकन X जलकर की दर की = रु0.....

100

13 जमा किए जाने वाले कर का विवरण -

क्रमांक	कर का नाम	देय कर की धनराशि	नियमानुसार मिलने वाले छूट	जमा की गयी धनराशि	चालान संख्या दिनांक
1	2	3	4	5	6
1	गृहकर				
2	जलकर				
3	अन्य कर				
कुल योग-					

कुल धनराशि (शब्दों में).....

सत्यापन

मैं एतद् द्वारा घोषित करता हूँ कि स्व मूल्यांकन विवरण में प्रस्तुत किये गये समस्त तथ्य मेरी जानकारी में ठीक और पूर्ण हैं। यदि जांच में इसमें उल्लेखित कोई बात असत्य या झूठी पायी जाती है तो नियमानुसार देय दण्ड मुझे स्वीकार होगा।

दिनांक.....

भवन स्वामी/अध्यासी के हस्ताक्षर

नाम.....

अनुप्रमाणक साक्षी-

1-हस्ताक्षर.....

1-हस्ताक्षर.....

नाम.....

नाम.....

पिता का नाम.....

पिता का नाम.....

पता.....

पता.....



“प्रपत्र- ख”
सूचना विवरणी प्रपत्र
(अधिनियम की धारा 141(क) के अन्तर्गत)

1- सम्पत्ति का विवरण-

- (1) भवन / भूखण्ड संख्या.....
- (2) भवन / भूखण्ड की अवस्थित का पता..... कम्प्यूटर कोड संख्या.....
वाई संख्या.....

2- स्वामी / अध्यासी का विवरण -

- (1) स्वामी / अध्यासी का नाम.....
- (2) स्वामी / अध्यासी के पिता/पति का नाम.....
- (3) स्वामी / अध्यासी का स्थायी पता.....
- (4) स्वामी / अध्यासी का मोबाइल नम्बर.....
- (5) स्वामित्व से सम्बन्धि साक्ष्य.....

3- भवन सम्बन्धी विवरण-

- (1) समस्त कमरों और आच्छादित बरामदों का
पूर्ण आन्तरिक आयाम (वर्ग फुट में)
(तल के अनुसार) लम्बाई x चौड़ाई योग
.....
- (2) समस्त बालकनी, कारीडोर, रसोई और स्टोर का
पूर्ण आन्तरिक आयाम (वर्गफुट में).....
- (3) समस्त गैराज के आन्तरिक आयाम (वर्गफुट में).....
- टिप्पणी- स्नान गृह, शौचालय, आंगन, पोर्टिको और जीने से आच्छादित क्षेत्र कारपेट एरिया का भाग नहीं होगा।**
- (4) भवन का कुल कारपेट एरिया (वर्गफुट में)
(तीन (1) का 100% + तीन (2) का 50% + तीन (3) का 25%)
.....
- (5) भूमि का कुल क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है।

4- भवन के निर्माण की प्रकृति-

- (1) आर0सी0सी0 या आर0बी0 छत सहित पक्का भवन

अन्य पक्का भवन

- (2) भवन निर्माण का वर्ष.....

- (3) भवन स्वामी द्वारा अध्यासित है अथवा किराये पर है, किसी एक का उल्लेख करें.....

टिप्पणी- यदि भवन एक वर्ष से कम अवधि से खाली है तो उसे स्वामी द्वारा अध्यासित समझा जायेगा, किन्तु यदि भवन एक वर्ष से अधिक की अवधि से खाली है तो उसे खाली उल्लिखित किया जायेगा।

5- भवन अवस्थित हैं-

40 फिट से अधिक चौड़े मार्ग पर

20 से 40 फिट चौड़े मार्ग पर

20 फिट से कम चौड़े मार्ग पर

6- भूमि सम्बन्धी विवरण-

(1) भूमि का कुल क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित नहीं है (वर्गफुट में).....

(2) भूमि अवस्थित है-

40 फिट से अधिक चौड़े मार्ग पर

20 से 40 फिट चौड़े मार्ग पर

20 फिट से कम चौड़े मार्ग पर

7- भवन / भू-खण्ड की चौहद्दी -

पूरब.....

पश्चिम.....

उत्तर.....

दक्षिण.....

8. भवन/भूमि का पुराना वार्षिक मूल्य रु0.....

सत्यापन

मैं एतद्वारा घोषित करता हूँ कि स्वमूल्यांकन विवरण में प्रस्तुत किये गये समस्त तथ्य मेरी जानकारी में ठीक और पूर्ण हैं। यदि जांच में इसमें उल्लिखित कोई बात असत्य या झूठी पायी जाती है तो नियमानुसार देय दण्ड मुझे स्वीकार होगा।

दिनांक.....

भवन स्वामी/अध्यासी के हस्ताक्षर

नाम.....

अनुप्रमाणक साक्षी-

1. हस्ताक्षर.....

2. हस्ताक्षर.....

नाम.....

नाम.....

पिता/माता का नाम.....

पिता/माता का नाम.....

पता.....

पता.....

(कार्यालय प्रयोग हेतु)

कर एवं राजस्व निरीक्षक

नगर पालिका परिषद

जौनपुर

कर अधीक्षक

नगर पालिका परिषद

जौनपुर

कर निर्धारण अधिकारी

नगर पालिका परिषद

जौनपुर

नगर पालिका परिषद, जौनपुर

प्रपत्र (घ)

अनावासिक भवनों हेतु सूचना प्रपत्र

1. सम्पत्ति का विवरण-

(क) भवन/भू खण्ड संख्या.....कम्प्यूटर कोड सं०.....

(ख) भवन/भू खण्ड की अवस्थित का पता.....वार्ड संख्या.....

2. स्वामी/अध्यासी का विवरण-

(क) स्वामी / अध्यासी का नाम.....

(ख) स्वामी / अध्यासी के पिता/पति का नाम.....

(ग) स्वामी / अध्यासी का स्थायी पता.....

(घ) स्वामी / अध्यासी का मोबाइल नम्बर.....

(ड.) स्वामित्व से सम्बन्धित साक्ष्य.....

3. भवन या भूमि का विवरण-

(क) भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्गफुट में)

(तल के अनुसार)

(ख) खुली भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्गफुट में)

(ग) कुल भूमि का क्षेत्रफल

(घ) अन्य विवरण, यदि कोई हो

4. भवन के निर्माण की प्रकृति-

(क) कच्चा मकान

अन्य पक्का मकान

आर०सी०सी० या आर०बी० मकान

(ख) भवन के निर्माण का वर्ष

(ग) भवन स्वामी द्वारा अध्यासित है अथवा किराये पर है किसी एक का उल्लेख करें

5. भवन अवस्थित है

40 फीट से अधिक चौड़े मार्ग पर

20 से 40 फीट चौड़े मार्ग पर

20 फीट से कम चौड़े मार्ग पर

6. भवन/भू खण्ड की चौहद्दी-

पूरब..... पश्चिम.....

उत्तर..... दक्षिण.....

(टिप्पणी- यदि भवन एक वर्ष से कम अवधि से खाली है तो उसे स्वामी द्वारा अध्यासित समझा जायेगा किन्तु यदि भवन एक वर्ष से अधिक अवधि से खाली है तो उसे "खाली" उल्लेखित किया जायेगा)

(कृ०प०३०)



7. (क) पूर्व निर्धारित वार्षिक मूल्य और निर्धारण वर्ष.....
(ख) भवन में जल संयोजन है अथवा नहीं

सत्यापन

एतद्वारा मैं घोषित करता हूँ कि स्वमूल्यांकन विवरण में प्रस्तुत किये गये तथ्य मेरी जानकारी में सही और पूर्ण हैं।
यदि जाँच में इसमें उल्लिखित कोई बात असत्य या झूठी पायी जाती है तो नियमानुसार देय दण्ड मुझे स्वीकार होगा।

दिनांक.....

भवन स्वामी / अध्यासी के हस्ताक्षर

नाम.....

मो०नं०.....

अनुप्रमाण साक्षी-

1. हस्ताक्षर.....

नाम.....

पिता/माता का नाम.....

पता.....

मो०नं०.....

2. हस्ताक्षर.....

नाम.....

पिता/माता का नाम.....

पता.....

मो०नं०.....

कार्यालय प्रयोग हेतु

राजस्व निरीक्षक
नगर पालिका परिषद, जौनपुर

कर अधीक्षक
नगर पालिका परिषद, जौनपुर

कर निर्धारण अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर

